हुक्म तामील नंबर व तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राष्ट्रीय लोक अदालत 2017, केम्प न्यायालय केम्पस – सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 69 / 2016

दायरा तिथि 05.12.2016

निर्णय तिथि 11.02.2017

वादीगण **बनाम :** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. स्व. रूपसिह पुत्र जीवसिंह के का.मु. एवं वारिसान
   - 1.1 विजेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
   - 1.2 सुमेरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
2. माधुसिंह पुत्र रूपसिंह
3. हडमतसिंह पुत्र रूपसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र रूपसिह
5. श्रीमती हवनकंवर पत्नी रूपसिंह

जातिगण राजपूत ,
निवासीगण भारून्दा ,
तह. सुमेरपुर जिला पाली

बनाम :

प्रतिवादीगण

1. मोहाराम पुत्र गोमाराम
2. रतनलाल पुत्र गोमाराम
3. जैसाराम पुत्र गोमाराम
4. धरमाराम पुत्र गोमाराम
5. चौपाराम पुत्र सांकलाराम
6. शांतिदेवी पत्नी सांकलाराम
7. स्व. वरदाराम पुत्र नरसाराम के का.मु. व वारिसान
   - 7.1 रमेश कुमार पुत्र वरदाराम
   - 7.2 छगनलाल पुत्र वरदाराम
   - 7.3 ताराचंद पुत्र वरदाराम
   - 7.4 फुलाराम पुत्र वरदाराम
   - 7.5 हरिश कुमार पुत्र वरदाराम
   - 7.6 महेन्द्र कुमार वरदाराम
8. पोमाराम पुत्र नरसाराम
9. दानाराम पुत्र नरसाराम

तमाम जातिगण माली
निवासीगण भारून्दा,
तह. सुमेरपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) , सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTAct,1955 एवं सपठित धारा 136 आर.टी.एक्ट , 1956

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राठौड उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ सिंह व जीतप्रसन्न सिंह उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 10 की ओर से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर।

–: निर्णय :–

दिनांक 11.02.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली बरोज आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्तागण व सरकार प्रतिनिधि नायब तहसीलदार । वादीगण द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत सरहद मौजा भारून्दा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नं. 638 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम जिसमें सेटलमेंट कार्यवाही संवत् 2037 के बाद हाल खसरा नं. 1006 / 1 रकबा 0.42 हेक्टर व खसरा नं. 1006 / 1 रकबा 0.41 हेक्टर कुल रकबा 0.83 हेक्टर किस्म बारानी दोयम वादीगण के पुश्तैनी एवं संयुक्त स्वामित्व की कब्जे–काश्त भूमि आई हुई स्थित है । सेटलमेंट विभाग व राजस्व विभाग ने प्रतिवादी सं. 01 लगाय 09 के नाम विधि – विरुद्ध गलत खातेदारी दर्ज किये है, उक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 01 लगाय 09 के नाम हटाये जाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को राजस्व रेकर्ड मे दुरस्त कर वादीगण को बतौर खातेदार घोषित किये जाने एवं वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने जाने हेतु प्रस्तुत किया है। जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण नोटिस जारी किये।

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

(2) कि वादीगण ने वादपत्र में यह भी जाहिर किया कि वर्णित विवादित आराजी पर वादीगण के पूर्वज स्व. रूपसिंह पुत्र जीवसिंह का उनके जीवनकाल में संवत् 2011 के पूर्वकाल से लगाय उनकी मृत्यु होने तक व इनके वारिसान वादीगण बतौर पुश्तैनी स्वामित्व खातेदार के रूप में आज तक लगातार बिना किसी रूकावट के शांतिपूर्ण कब्जाकास्त चला आ रहा है। पूर्व में राजस्व विभाग व सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों की गलती से राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 09 के नाम गलत खातेदारी दर्ज हो गई जिसे दुरस्त करवाने के लिए वादीगण के पूर्वज स्व. रूपसिंह पुत्र जीवसिंह ने न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी, जोधपुर पार्टी प्रथम में प्रकरण प्रस्तुत किया। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी, जोधपुर पार्टी प्रथम द्वारा निर्णित मिसल सं. 57/1975 में पारित आदेश दिनांक 31.08.1979 के अनुसार वादग्रस्त आराजी को वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी से अनुतोष प्राप्त करना बताया है।

(3) कि पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा संयुक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प , सुमेरपुर में निस्तारण किये जाने की इस्तदुआ करने पर राजस्व वाद लोक अदालत केम्प में रखी गई। लोक अदालत की भावना से पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेज का परीक्षण किया तो पाया कि प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 04 क्रमशः मोडाराम , रतनलाल, जैसाराम, धर्माराम एवं प्रतिवादी संख्या 05 व 06 क्रमशः चोपाराम, शांतिदेवी एवं स्व. वरदाराम के का.मु. वारिसान प्रतिवादी संख्या 7/1 लगाय 7/6 क्रमशः रमेश कुमार, छगनलाल,, ताराचंद , फुलाराम, हरिश कुमार, महेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 08 तथा 09 पोमाराम व दानाराम की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 30.01.2017 को इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर पूर्ण सहमति दी कि "वादग्रस्त आराजी पर वादी स्व. रूपसिंह पुत्र जीवसिंह के का. मु. वारिसान का लगातार कब्जा कास्त है। जिससे ग्राम भारून्दा के खसरा नं. 1006 रकबा 0.42 है. , व खसरा नं. 1006/1 रकबा 0.41 है. कुल रकबा 0.83 है. भूमि स्व. रूपसिंह के का.मु. वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाती है तो तमाम प्रतिवादीगण को काई आपत्ति ऐतराज नही है।"

(4) कि हमने, उभयपक्षीय द्वारा की गई दलीलों पर मनन व विचारण किया, साथ ही पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत किए गये राजीनामा एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात् हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त आराजी बावत वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार एवं डिक्री किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

अत : पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र वादीगण व प्रतिवादी–गण के बीच आपसी सहमति स्वरूप इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करने पर वादीगण का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा भारून्दा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 1006 रकबा 0.42 हेक्टर व खसरा नं. 1006/1 रकबा 0.41 हेक्टर कुल रकबा 0.83 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि के राजस्व रेकर्ड में सें प्रतिवादीगण 01 लगाय 09 के नाम हटाये जाकर स्व. रूपसिंह के का.मु वारिसान वादीगण 01 लगाय 05 के नाम दर्ज कर दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का भारून्दा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे । वादीगण को बतौर खातेदार रेकर्ड मे दर्ज किया जावे। वादीगण की उपरोक्त हक–हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे। इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 11–02–2017 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प न्यायालय सुमेरपुर में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली
सुमेरपुर (पाली)

–: डिक्री व मुकदमें इब्तदाई :–

Scanned by CamScanner